संख्या–6–ई.एम./2000–का–4–2009

प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त, 2009

विषयः– राजकीय वाहन चालक महासंघ के वार्षिक अधिवेशन के संबंध में।

महोदय,

राजकीय वाहन चालक महासंघ का द्विवार्षिक अधिवेशन/चुनाव दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर, 2009 को आयोजित किया जा रहा है। शासन द्वारा उक्त अधिवेशन/चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को उक्त दो दिवसों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्त के संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है, कि प्रश्नगत अधिवेशन/चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर, 2009 का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–6–ई.एम.–2000(1)–का–4–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. श्री केदार नाथ तिवारी, महामंत्री, 93–बी, विधायक निवास, दारूलशफा, लखनऊ।

आज्ञा से,
(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव